राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
40वीं बैठक दिनांक : 20 मार्च, 2012

एजेण्डा

एजेण्डा संख्या - 1.

एस.एल.बी.सी. बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2011 का कार्यवृत्त एवं कार्य बिंदु पत्रांक प्रशा.का./ एस.एल.बी.सी. / 26 / 3752-3827 दिनांक 07 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्रेषित कर दिए गए थे। जिन पर कोई सुझाव / आपति प्राप्त नहीं हई है, अतः उनकी पुष्टि मान ली जाए।

एजेण्डा संख्या - 2.

एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड की 39वीं बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2011 के कार्य बिंदुओं से संबंधित कृत कार्रवाई ।

क्र.सं.	कार्य बिंदु	कार्रवाई हेतु अपेक्षित विभाग	प्रगति
1.	प्रमुख सचिव, वित्त एवं प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तराखंड शासन ने पहाड़ी जिलों का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने हेतु ब्लाक / ग्राम पंचायत स्तर क्षेत्र की संभाव्यताओं के अनुरुप योजना बनाकर लागू करनी होगी, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेषताएं होती हैं। ब्लाक स्तर के अधिकारियों को पहाड़ी जिलों के ग्रामीणों में व्यवसायिकता एवं उद्यमिता का विकास करना होगा ताकि स्थानीय संसाधनों पर आधारित व्यापरिक एवं औद्योगिक गतिविधियों हेतु बैंकों से ऋण उपलब्ध करावाया जा सके।	सभी अग्रणी जिला प्रबंधक / जिला उद्योग केंद्र	राज्य के पहाड़ी जिलों की ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने की समीक्षा, जिला स्तरीय सलाहकार समितियों की बैठकों में नियमित रुप से होती है। राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 संशोधित 2011 दिनांक 18.11.2011 के क्रियान्वित होने से, पर्वतीय जिलों में उद्योगों की स्थापना को बल मिलेगा, जिससे ऋण-जमा अनुपात में सुधार आ सकेगा।
2	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखंड शासन ने कृषि विभाग को पुनः निर्देशित किया कि वे एक माह के अंदर सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों एवं एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को शेष अऋणी कृषकों की सूची उपलब्ध कराएं, ताकि बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकें। इस संबंध में कृषि विभाग / बैंक / जिला / ब्लाक स्तर पर बहुउद् देशीय कैम्प आयोजित कर, मौके पर ही आवेदन पत्र, फोटो, भूमि अभिलेख की प्रति आवेदक को उपलब्ध कराकर के.सी.सी. जारी किया जाए।	निदेशक, कृषि / समस्त बैंक	कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है।

3.	प्रमुख सचिव, वित्त ने संबंधित बैंकों को निर्देशित किया कि शेष बैंकिंग सुविधारहित 2000 से अधिक जनसंख्या वाले एवं अटल आदर्श ग्रामों में मूलभूत बैंकिंग सुविधा मार्च, 2012 तक अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराएं। प्रमुखसचिव, वित्त ने बी.एस.एन.एल. से अनुरोध किया कि बैंकों की प्राथमिकता / आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए बैंकिंग सेवारहित ग्रामों में ब्राड बैण्ड / जी.पी.आर.एस. के माध्यम से इन्टरनेट कनेक्टिविटी शीघ्र उपलब्ध कराएं।	संबंधित बैंक / बी.एस.एन.एल	माह दिसम्बर, 2011 तक की प्रगति पृथक से एजेण्डा संख्या - 3 में प्रस्तुत की जा रही है। भारत संचार निगम लि. द्वारा वर्तमान में उपलब्ध कनेक्टिविटी का विवरण उपलब्ध कराया है तथा बैंकों से संबंधित तकनीक द्वारा (यथा ब्रॉड बैण्ड / जी.पी.आर.एस. / वी. मैक्स) उपयोग हेतु ऑडर पारित करने हेतु, आग्रह किया है। बी.एस.एन.एल. से शेष ग्रामों में जिनकी जनसंख्या 2000 से कम है में भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएं।
4.	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखंड शासन ने ग्राम्य विकास को निर्देशित किया कि तीन शेष जिलों (उत्तरकाशी, नैनीताल, चम्पावत) में आरसेटी हेतु आवासीय भवन के निर्माण के लिए एक माह के अंदर भूमि आवंटित / हस्तांतरित करवाने की व्यवस्था करें और इन जिलों के निदेशक, (आरसेटी) को जिलाधिकारी से संपर्क कर इस प्रकरण में तीव्रता लाने हेतु निर्देशित किया।	ग्राम्य विकास विभाग / आरसेटी	कार्रवाई अपेक्षित है।
5.	डा. आलोक पांडे, निदेशक, वित्तीय सेवाएं, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, मनरेगा के भुगतान हेतु बैंकों की कम्प्यूट्रीकृत प्रणाली (core banking system) में खोले गए लाभार्थियों के खातों में इलेक्ट्रोनिक बेनिफिट ट्रान्सफर (EBT) द्वारा संबंधित बैंकों के साथ राशियों को ऑन-लाइन अंतरण करने की शीघ्र व्यवस्था करें। सरकार द्वारा प्रायोजित विकास योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को देय अनुदान राशि को भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से सीधे बैंक खातों में ऑन-लाइन प्रक्रिया से धनराशि का समायोजन करना आरम्भ करें।	राज्य सरकार के संबंधित विभाग / संबंधित बैंक	(क) केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का डाटा बेस, राज्य सरकार के केंद्रीय सर्वर पर उपलब्ध न होने के कारण, कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। (ख) राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन भुगतान संबंधी डाटा बेस अब राज्य सरकार के केंद्रीय सर्वर पर उपलब्ध है तथा खाताधारकों के खाता संख्या में सुधार होते ही, पेंशन का भुगतान ऑन-लाइन प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

6.	डा. आलोक पांडे, निदेशक, वित्तीय सेवाएं, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बनाए गए सर्वित एरिया प्लान को संबंधित जिलों के एन.आई.सी. वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड (upload) करवाने की व्यवस्था करें। उत्तराखंड राज्य में जनवरी, 2012 से नेशनल रुरल लाइवलीहुड मिशन (NRLM) लागू हो जाएगा, अतः सभी डी.डी.एम., नाबार्ड को निर्देशित किया कि जिले की संभाव्यतायुक्त योजना (Potential Link Plan) बनाते समय इस मिशन की नई योजनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाएं।	अग्रणी जिला प्रबंधक / डी.डी.एम., नाबार्ड	1) जिला सर्विस एरिया प्लान, एन.आई.सी. की वेबसाइट पर लोड कर दिया गया है। 2) कार्रवाई अपेक्षित है।
7.	अध्यक्ष महोदय ने निदेशक, के.वी.आई.सी. / के.वी.आई.बी. को निर्देशित किया कि वे लम्बित अनुदान राशि शीघ्र बैंकों को उपलब्ध कराएं और बैंकों को कहा कि यदि उनके स्तर पर कोई अनुदान दावा लम्बित हो तो उसे एक माह के अंदर '' नोडल बैंक शाखा '' के माध्यम से के.वी.आई.सी. / के.वी.आई.बी. को निपटान हेतु प्रेषित करें।	समस्त बैंक / के.वी.आई.सी. / के.वी.आई.बी.	कार्रवाई अपेक्षित है। (के.वी.आई.बी से 2006-07 एवं 2007-08 के बैंक ऋण प्रकरणों पर कुछ बैंकों में मार्जिन मनी प्रतीक्षित है)
8.	सभी बैंक नियंत्रक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक से आग्रह किया गया है कि माह दिसम्बर, 2011 तक के एस.एल.बी.सी. के आँकड़ों का विवरण (एस.एल.बी.सी. रिटर्न 1 से 48), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को दिनांक 15 जनवरी, 2012 तक ई-मेल (agmslbc.zodeh@sbi.co.in) द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आगमी एस.एल.बी.सी. की बैठक फरवरी, 2012 के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है।	समस्त बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक	अधिकतर बैंकों द्वारा एस.एल.बी.सी. विवरणियाँ निर्धारित समय सीमा पर प्रेषित नहीं की जा रही हैं तथा आँकड़ों के प्रेषण में अनेक अशुद्धियाँ हैं।

एजेण्डा संख्या - 3

वित्तीय समावेशन 2000 + जनसंख्या वाले गाँव में बैंकवार बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की माह दिसम्बर, 2011 तक की स्थिति

विदित हो कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सभीचयनित गाँवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु मार्च, 2012 का लक्ष्य तय किया गया है, अतः सभी बैंक इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें।

एसएलबीसी तालिका सं.- 45 A

क्र.सं.	बैंक	आवंटित गाँव की संख्या	दिसम्बर,2011 तक की उपलब्धि	फरवरी, 2012 तक की उपलब्धि	नियुक्त बी.सी. की संख्या (दिस.2011)	खोले गए खातों की सख्या (दिस. 2011)
1.	एस.बी.आई.	62	62	62	56	13783
2.	पी.एन.बी.	70	38	70	63	5740
3.	बी.ओ.बी.	24	24	24	22	3360
4.	इलाहाबाद बैंक	11	11	11	10	2969
5.	ओ.बी.सी.	12	07	12	06	1328
6.	केनरा बैंक	07	06	07	05	2656
7.	पी.एस.बी.	05	05	05	05	1747
8.	बैंक ऑफ इण्डिया	01	01	01	01	1110
9.	सी.बी.आई.	01	01	01	00	407
10.	यूनियन बैंक	04	03	04	03	3532
11.	आई.ओ.बी.	05	05	05	05	5194
12.	एन.ए.के.जी.बी.	03	03	03	00	638
13.	यू.जी.बी.	10	09	10	09	2290
14.	नैनीताल बैंक	11	11	11	11	5445
	कुल	**226**	**186**	**226**	**196**	**50199**

संबंधित बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 2000 + जनसंख्या वाले आवंटित सभी गाँवों में निर्धारित समयावधि से पूर्व ही बैंकिंग सेवाएं प्रदान करा दी गईं हैं।

- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की इस सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त योजना की समीक्षा गत 02 फरवरी, 2012 को सचिव, वित्तीय सेवाएं, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी एस.एल.बी.सी. संयोजकों की एक उच्चस्तरीय बैठक में की गई थी, इस बैठक में निम्न कार्य बिंदु तय किए गए हैं :

- सभी चयनित ग्रामों में **बैंकिंग सेवाओं का विस्तार** की प्रक्रिया 31.03.2012 तक अवश्य पूरी की जाए।
- विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद शाखा विस्तार कार्यक्रम को लागू किया जाए जिसमें निजी क्षेत्र के बैंकों की सहभागिता भी हो।
- 5000 से अधिक आबादी वाले ऐसे गाँव जहाँ पर शाखा विस्तार कार्यक्रम लागू किया जाना है में यह प्रक्रिया 30.09.2012 तक अवश्य पूरी की जानी चाहिए।
- भारत सरकार के निर्देशानुसार एफ.आई.चयनित गाँवों में साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम का विवरण यथाअधिकारी का नाम तथा निर्धारित दिन व तिथि का पूरा शाखावार कार्यक्रम बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों में रखा जाना चाहिए, जिसका निरीक्षण वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान किया जाएगा।
- ग्रामीणों में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि गाँवों के लिंक शाखा प्रबंधक अविलम्ब प्रत्येक गाँव में एक बैठक का आयोजन करें जिसमें इस विषय पर विस्तृत चर्चा कर उन्हें योजना के उद्देश्यों से पुनः अवगत कराया जाए।
- ई-पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक शाखाओं द्वारा जारी किए जाने वाले भुगतान चैकों की संख्या में कमी लाई जाए जिसके लिए एक अभियान चलाया जाए।
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में बैंकों / विभिन्न विभागों के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा सहभागिता की जाए।
- जिलों की वेबसाइट पर अपलोड किए गए सर्विस एरिया प्लान में अन्य जानकारियाँ यथा विलेज कोड (जनसंख्या के आधार पर), प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी गाँवों के नाम इत्यादि को प्रदर्शित किया जाए।

अटल आदर्श ग्राम योजना

एसएलबीसी तालिका सं. - 45 (a) दिसम्बर, 2011 तक की स्थिति

क्र.सं.	बैंक का नाम	अटल आदर्श ग्राम योजना *	
		लक्ष्य	बैंकिंग सुविधा द्वारा आच्छादित
1.	एस.बी.आई.	100	46
2.	पी.एन.बी.	31	07
3.	बी.ओ.बी.	14	05
4.	ओ.बी.सी.	06	03
5.	केनरा बैंक	06	05
6.	सी.बी.आई.	03	01
7.	इलाहबाद बैंक	03	01
8.	आई.ओ.बी.	01	00
9.	एन.ए.के.जी.बी.	18	07
10.	यू.जी.बी.	35	08
11.	सहकारी बैंक	29	24
12.	नैनीताल बैंक	05	01
13.	पी.एस.बी.	01	00
14.	यूनियन बैंक	02	00
15.	इण्डियन बैंक	01	00
16.	बैंक आफ इण्डिया	00	00
17	यूको बैंक	04	00
	कुल योग	**259**	**108**

* अटल आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत, राज्य सहकारी बैंक द्वारा मिनी बैंक के माध्यम से ग्रामों में सुविधा प्रदान की जा रही है।

एजेण्डा संख्या - 4

वार्षिक ऋण योजना 2011-12 के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर, 2011 त्रैमास तक की गई उपलब्धि की समीक्षा

एसएलबीसी तालिका - 2 (₹ करोड़ों में)

गतिविधि	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि
कृषि	2874	2163	75 %
उद्योग	1437	916	64 %
सेवा	2478	1361	55 %
कुल	**6789**	**4440**	**65 %**

वार्षिक ऋण योजना 2011-12 में दिसम्बर, 2011 को समाप्त अवधि तक कुल उपलब्धि ₹ 4440 करोड़ है जोकि लक्ष्य का 65 % है। 20 बैंको की उपलब्धि प्रदेश स्तरीय औसत प्रगति से कम है, परन्तु कुछ बैंको की प्रगति 50 % से भी कम है जैसे कि यूनाइटेड बैंक (6 %), बैंक आफ इण्डिया (30%), इलाहाबाद बैंक (42%), विजय बैंक (0 %), स्टेट बैंक आफ पटियाला (9%), पंजाब एण्ड सिंध बैंक (28 %) । इन बैंको को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

- वार्षिक ऋण योजना 2012-13 के सृजन की कार्रवाई प्रारम्भ हो चुकी है, सभी अग्रणी बैंकों द्वारा अपने-अपने अग्रणी जनपदों में वार्षिक ऋण योजना 2012-13 तैयार कर डी.सी.सी. की विशेष बैठक के माध्यम से इसका अनुमोदन कर एस.एल.बी.सी. को अविलम्ब (31.03.2012) प्रेषित कर दिया जाना चाहिए, ताकि राज्य स्तर पर इसको समेकित कर प्रस्तुत किया जा सके। नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा गत **फरवरी, 2012** को स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसमें संभाव्यतायुक्त योजना राशि ₹ 8031 करोड़, कृषि 3555 करोड़, नॉन फार्म सेक्टर ₹ 1697 करोड़, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र ₹ 2799 करोड़ है।

एजेण्डा संख्या - 5

ऋण-जमा अनुपात की समीक्षा : एसएलबीसी तालिका - 1

विवरण	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.12.2011
ऋण-जमा अनुपात (राज्य में स्थित बैंको द्वारा)	32.10	40.80	40.30	39.90
ऋण-जमा अनुपात (राज्य एवं राज्य से बाहर स्थित बैंको सहित)	36.30	49.70	49.30	48.84
ऋण-जमा अनुपात (RIDF सहित)	38.40	52.40	52.60	51.84 (Excluding SIDBI)

आँकड़ों के विशलेषण से स्पष्ट है कि त्रैमास दिसम्बर, 2011 में, मार्च, 2011 के सापेक्ष 0.75 % की कमी आई है, जोकि चिंता का विषय है, निम्न बैंक जिनका ऋण-जमा अनुपात 30 % से भी कम है, उन्हें इस दिशा में सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता है :

सेंट्रल बैंक - 28.08 %, पंजाब एण्ड सिंध बैंक - 29.8 %,यूको बैंक - 28 %, यूनाइटेड बैंक - 19.6 %, इण्डियन बैंक - 23.6 %

बैंकवार / सेक्टरवार अग्रिमों की स्थिति एस.एल.बी.सी. - 1 के द्वारा प्रस्तुत की गई है।

एजेण्डा संख्या - 6

सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं का पुनरीक्षण :

(₹ लाखों में)

योजना	एसाएलबीसी तालिका संख्या	लक्ष्य	आवेदन प्रेषित	आवेदन स्वीकृत	आवेदन वितरित	वितरित राशि
पी.एम.ई.जी.पी.	06	803	585	515	522	1284.77
i) डी.आई.सी.	06 A	321	284	241	245	589.17
II) के.वी.आई.सी.	06 B	241	202	177	182	468.18
III)के.वी.आई.बी.	06 C	241	99	97	95	227.42
वीर चंद्र सिंह पर्यटन योजना	08	520	475	265	233	1691.46
क) वाहन ऋण	08 A	260	274	201	171	910.73
ख) गैर-वाहन ऋण	08 B	260	201	64	62	780.73
एस.सी.पी.	15	8781	3547	2657	2440	595.59
i) अनुसूचित जाति	15 A	7000	2761	1990	1830	453.45
ii) अनुसूचित जनजाति	15 B	1500	583	565	529	109.54
iii) अल्पसंख्यक समुदाय	15 C	281	203	102	81	32.60
एस.जे.एस.आर.वाई.	17	604	1153	403	351	342.64
एस.जी.एस.वाई.						
समूह	19	1808	1907	1609	1532	1354.50
व्यक्तिगत	19	991	1966	1370	1291	359.81
नवीन ऋण आवास योजना	23	2177	1815	945	697	333.20

एजेण्डा संख्या - 7

प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों (PSA) की समीक्षा

{ Key Indicator } (₹ करोड़ों में)

मापदण्ड	बेंचमार्क	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.12.2011
कुल ऋण		**13283**	**15990**	**18892**	**21188**
कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का ऋण		8656	11471	12479	16219
कुल ऋणों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋणों का %	40 %	65%	72 %	66 %	76%
कुल कृषि ऋण		**3312**	**4320**	**5027**	**5670**
कुल ऋणों में कृषि को ऋणों का %	18 %	38%	38%	27%	26 %
कुल ऋणों में एम.एस.एम.ई. को ऋण		-	-	-	8109
कुल ऋणों में एम.एस.एम.ई. का %		-	-	-	38 %
कुल निर्बल वर्ग को ऋण		**2254**	**2389**	**3334**	**3943**
कुल ऋणों में निर्बल वर्ग को ऋणों का %	10 %	26%	21%	18%	18 %
कुल महिलाओं को ऋण		**243**	**815**	**1299**	**1339**
कुल ऋणों में महिलाओं को ऋणों का %	05 %	03%	07%	07%	06 %
कुल अल्पसंख्यकों को ऋण		**914**	**1051**	**1542**	**1513**
कुल ऋणों में अल्पसख्यकों को ऋणों का %	15%	11%	09%	08%	09 %
कुल डी.आई.आर. ऋण		**10**	**15**	**17**	**40**
कुल ऋणों में डी.आई.आर. ऋणों का %	01%	0.12%	0.14%	0.08%	0.19 %

- भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रवाह हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए हैं, बैंकों से अनुरोध है कि तदनुसार ऋण प्रवाह सुनिश्चित करें।

एजेण्डा संख्या - 8

i) किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड योजना - योजना के अंतर्गत 31.12.2011 तक प्रगति निम्नानुसार है :

लक्ष्य 2011-12 के.सी.सी. की सख्या	**31.12.2011 तक जारी किए**	**31.12.2011 तक उपलब्धि लक्ष्य का % (11-12)**	**31.12.2011 तक वितरित राशि**	**31.12.2011 तक कुल जारी किए गए कार्डों की सख्या**
2,00,000	88,891	44.45 %	754.71 करोड़	7,09,565

(एस.एल.बी.सी. तालिका - 4)

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 39वीं बैठक में कृषि विभाग पात्र कृषकों की सूची, एक माह के अंदर बैंकों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए गए थे, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके तथा कृषकों की संख्या में अंतर को समायोजित किया जा सके। कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई अभी भी अपेक्षित है।
- जिला स्तर की त्रैमासिक बैठकों (डी.सी.सी. / डी.एल.आर.सी.) में जिलाधिकारी भी के.सी.सी. की प्रगति का अनुश्रवण / समीक्षा कर अपेक्षित सुधार लाएं।
- प्रदेश में सहकारी समितियों (PACs) के सभी सदस्यों को, किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित किया जाए।

ii) बैंक ऋणों पर स्टॉम्प शुल्क छूट

राज्य सरकार से अनुरोध है कि राज्य में कृषि क्षेत्र के **₹ 5 लाख तक के बैंक ऋणों पर स्टॉम्प शुल्क पर छूट** दिनांक 31.03.2012 के उपरांत भी जारी रखने से संबंधित अधिसूचना जारी करवाने का कष्ट करें ताकि भविष्य में कृषकों को ऋण प्राप्त करने में व्यवधान न हो।

एजेण्डा संख्या - 9

जिला स्तरीय सलाहकार समिति

क) राज्य के अधिकतम सभी जिलों में सितम्बर-दिसम्बर, 2011 त्रैमास की डी.सी.सी. की बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों से अनुरोध है कि वे अविलम्ब इन बैठकों के कार्य बिन्दु प्रेषित करें । इसके अतिरिक्त इन बैठकों में, बैंकों से समुचित स्तर की प्रतिभागिता न करने की प्रवृति लगातार बनी हुई है, जिसके फलस्वरुप बैठकों में समुचित मार्गदर्शन, निस्तारण, प्रगति की समीक्षा नहीं हो पाती है। सभी संबंधित विभागों से अनुरोध है कि समुचित प्रतिभागिता से इस फोरम का सदुपयोग करें। अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब कार्य बिंदुओं को प्रेषित करें तथा अनुपस्थित विभागाध्यक्षों की सूची जिलाधिकारियों / शासन को उपलब्ध कराएं।

ख) दिसम्बर 2011 तक की प्रगति के आंकलन हेतु आयोजित की गई जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठको के अनिर्णित बिंदु राज्य स्तरीय बैठक में चर्चा हेतु प्राप्त नहीं हुए हैं।

ग) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय बेकर्स समिति की बैठक त्रेमास समाप्त होने के 45 दिवसों के अंदर आहूत की जानी चाहिए । कैलन्डर वर्ष 2012 में एस एल बी सी की बैठकों के आयोजन हेतु निम्न कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ।

त्रैमास समाप्त	बैठक की तिथि
मार्च 2012	15 मई 2012
जून 2012	17 अगस्त 2012
सितम्बर 2012	15 नवम्बर 2012

इसी कम में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठकों के आयोजन हेतु निम्नलिखित प्रस्तावित तिथियों में से कोई एक तिथि प्रत्येक त्रैमास/जिला हेतु पूर्व निर्धारित की जाये ।

जिला हेतु वर्ष 2012–13 का प्रस्तावित कैलण्डर :

त्रैमास समाप्त	संस्तुति हेतु प्रस्तावित तिथियॉ		
मार्च 2012	04 मई 2012	07 मई 2012	09 मई 2012
जून 2012	06 अगस्त 2012	08 अगस्त 2012	09 अगस्त 2012
सितम्बर 2012	05 नवम्बर 2012	07 नवम्बर 2012	09 नवम्बर 2012
दिसम्बर 2012	05 फरवरी 2013	07 फरवरी 2013	09 फरवरी 2013

iv) स्थाई समितियों की बैठक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक से पूर्व फरवरी / मार्च, 2012 माह में विभिन्न स्थाई समितियों की बैठक आयोजित की जा चुकी है।

	स्थाई समिति	**दिनांक**
क)	वित्तीय समावेशन	02.03.2012
ख)	वन एवं ग्राम्य विकास	22.02.2012
ग)	समाज कल्याण	19.03.2012

इन बैठकों में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :

i) प्राइमरी क्रेडिट सोसायटी के सभी सदस्यों को, जिनकी संख्या लगभग 6.75 लाख है और जिनके पास के.सी.सी.नहीं है, उनको क्रेडिट कार्ड जारी करना।

ii) जिलेवार पात्र अपोषित कृषकों की सूची, अग्रणी जिला प्रबंधकों को उपलब्ध कराना।

iii) 31.03.2012 तक बैंकिंग सेवारहित 2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में बिजनेस कॉरेस्पोन्डेन्ट के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना।

iv) के.वी.आई.सी. / के.वी.आई.बी. के लम्बित अनुदान प्रकरणों में एक मुश्त योजना के अंतर्गत निपटान।

v) जिला समाज कल्याण अधिकारियों का, बैंक खाता संख्या, पेंशनधारी का नाम, शाखा का नाम आदि विवरण / रिकार्ड अद्यतन कर बैंक को उपलब्ध कराना ।

एजेण्डा संख्या - 10

बैंकों में दिसम्बर, 2011 तक की कुल **कृषि ऋण वसूली** की स्थिति संतोषजनक है जोकि लगभग 77.83 % है। परंतु कुछ वाणिज्यिक बैंकों में, बैंक ऑफ बड़ौदा (51 %), को-आपरेटिव बैंक (56%), यूनियन बैंक (23 %), कृषि ऋण वसूली बहुत कम है । जिन्हें वसूली अभियान चला, सुधार की आवश्यकता है।

(एस.एल.बी.सी. तालिका - 42) (₹ करोड़ों में)

डिमाण्ड	रिकवरी	ओवरड्यू	वसूली प्रतिशत
1243.18	967.58	275.60	78 %

अब तक बैंकर्स द्वारा कुल 21610 **ऋण वसूली प्रमाण पत्र ₹** 78.54 करोड़ के जारी किए गए परंतु राजस्व विभाग द्वारा मात्र 2489 ऋण वसूली प्रमाण पत्रों पर ₹ 8.33 करोड़ की वसूली की गई जोकि बहुंत कम है।

(एस.एल.बी.सी. तालिका - 43) (₹ करोड़ों में)

आर.सी. लम्बित (1 वर्ष से कम)		आर.सी. लम्बित (1 वर्ष से अधिक)		कुल लम्बित वसूली प्रमाण पत्र		कुल लम्बित आर.सी. के सापेक्ष वसूली	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
5513	33.98	16097	44.56	21610	78.54	2409	8.33

एजेण्डा संख्या - 11

आरसेटी संस्थान में दिनांक 01.04.2010 से 31.12.2011 तक प्रदान किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण

जिला एवं प्रायोजक बैंक	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या		प्रशिक्षुओं की संख्या		मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण
	31.3.2011 तक	1.4.2011 से 31.12.2011	31.3.2011 तक	1.4.2011 से 31.12.2011	
पौड़ी एस.बी.आई.	**08**	**15**	**291**	**311**	साबुन एवं मोमबत्ती बनाना, पशु पालन, कुटकुट पालन, एस.एच.जी., हैण्डीक्राफ्ट, दोना-पत्तल बनाना, ब्यूटीशियन
हरिद्वार पी.एन.बी.	**11**	**07**	**490**	**84**	ब्यूटीशियन, जैम, जैली, अचार, रेडीमेड गारमेन्ट्स एवं मोबाइल रिपेयरिंग
नैनीताल बी.ओ.बी.	**01**	**05**	**18**	**131**	सिलाई, कढ़ाई, बुनाई
उधम सिंह नगर बी.ओ.बी.	**09**	**03**	**242**	**88**	मोमबत्ती, कम्प्यूटर रिपेयर, ब्यूटीशियन, डेयरी, मशरुम, मोटर रिपेयरिंग, फोटाग्राफी एवं विडियोग्राफी, घड़ी मरम्मत और स्क्रीन पेंटिंग
चमोली एस.बी.आई.	**16**	**14**	**413**	**554**	डेयरी एवं सब्जी विकास, ब्यूटीशियन, जैम, जैली, अचार, रेडीमेड गारमेंट्स और पशु पालन, जड़ी-बूटी उत्पादन, ड्रेस डिजाइनिंग
उत्तरकाशी एस.बी.आई.	**08**	**07**	**272**	**175**	खाद्य प्रसंस्करण, बुनाई, कृषि सम्बद्ध कार्यक्रम एवं डेयरी विकास, कम्प्यूटर हार्डवेयर, एस.एच.जी.
अल्मोड़ा एस.बी.आई.	**10**	**08**	**216**	**175**	डेयरी विकास, कढ़ाई-बुनाई, मोमबत्ती बनाना, मोटर मरम्मत और जैम, जैली, अचार
चम्पावत एस.बी.आई.	**00**	**01**	**00**	**20**	--
पिथौरागढ़ यू.जी.बी.	**01**	**01**	**25**	**20**	सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर
रुद्रप्रयाग एस.बी.आई.	**05**	**08**	**411**	**203**	महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण, इलैक्ट्रीकल्स एवं इलैक्ट्रोनिक्स रिपेयरिंग
देहरादून ओ.बी.सी.	**53**	**20**	**1087**	**480**	ब्यूटीशियन, सिलाई, कढ़ाई, मोमबत्ती बनाना, मोबाइल रिपेयरिंग, पॉल्ट्री, हैण्डीक्राफ्ट, फोटोग्राफी, कम्प्यूटर रिपेयरिंग
टिहरी एस.बी.आई.	**08**	**06**	**192**	**156**	डेयरी विकास, कढ़ाई-बुनाई, मोमबत्ती बनाना और जैम-जैली, अचार
बागेश्वर एस.बी.आई.	**13**	**08**	**440**	**249**	स्क्रीन प्रिंटिंग, फैब्रिक प्रिंटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोमबत्ती बनाना, पशुपालन, सब्जी उत्पादन और डेयरी विकास
कुल	**143**	**98**	**4097**	**2515**	

आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रशिक्षुओं की संख्या बढाने की आवश्यकता हैं ।

आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रशिक्षुओं की संख्या बढाने की आवश्यकता हैं ।

वित्तीय वर्ष 2012–13	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रशिक्षुओं की संख्या	प्रति व्यक्ति प्रति दिन प्रशिक्षण व्यय राशि (रू0)	कुल व्यय राशि (रू0)
		1	2	3	4 =(1X2X3)
अप्रैल	1.कम्प्यूटर बेसिक शिक्षा 2.मोमबत्ती/अगरबत्ती 3.सिलाई कढाई	06 दिन 06 दिन 06 दिन	40 40 40	200.00 200.00 200.00	48,000.00 48,000.00 48,000.00
मई	1.सिलाई कढाई 2.ड्रेस डिजाईनिग	06 दिन 18 दिन	40 40	200.00 200.00	48,000.00 1,44,000.00
जून	1.पशु पालन एवम् दुग्ध उत्पादन 2.पशु पालन एवम् दुग्ध उत्पादन 3.खाद्य प्रसंस्करण	06 दिन 06 दिन 06 दिन	40 40 40	200.00 200.00 200.00	48,000.00 48,000.00 48,000.00
जुलाई	1.पशु पालन एवम् दुग्ध उत्पादन 2.कृषि संबधित गतिविधियॉ 3.एस.एस.जी. कौशल विकास	06 दिन 06 दिन 06 दिन	40 40 40	200.00 200.00 200.00	48,000.00 48,000.00 48,000.00
अगस्त	1.खाद्य प्रसंस्करण 2.ब्यूटी पार्लर 3.बिजली मरम्मत	06 दिन 06 दिन 06 दिन	40 40 40	200.00 200.00 200.00	48,000.00 48,000.00 48,000.00
सितम्बर	1.मोबाईल/टी.वी. मरम्मत 2.एस.एस.जी. कौशल विकास	12 दिन 06 दिन	40 40	200.00 200.00	96,000.00 48,000.00
अक्टूबर	1.सिलाई कढाई 2.ड्रेस डिजाईनिग	06 दिन 18 दिन	40 40	200.00 200.00	48,000.00 1,44,000.00
नवम्बर	1.खाद्य प्रसंस्करण	06 दिन	40	200.00	48,000.00

	2.मोबाईल / टी.वी. मरम्मत	12 दिन	40	200.00	48,000.00
दिसम्बर	1.स्कूटर मरम्मत 2.पशु पालन एवम् दुग्ध उत्पादन 3.फैब्रिक पेंटिग / स्क्रीन प्रींटिग	06 दिन 06 दिन 10 दिन	40 40 40	200.00 200.00 200.00	48,000.00 48,000.00 80,000.00
जनवरी	1.मोमबत्ती / अगरबत्ती 2.डाटा ऐट्री ओपरेटर	06 दिन 18 दिन	40 40	200.00 200.00	48,000.00 1,44,000.00
फरवरी	1.बेमौसमी सब्जी 2.हैन्डीक्राप्ट् के सामान / बैग बनाना	06 दिन 18 दिन	40 40	200.00 200.00	48,000.00 1,44,000.00
मार्च	1.कम्प्यूटर बेसिक शिक्षा 2. जैविक खाद उत्पादन 3. फल एवम् सब्जी संरक्षण	06 दिन 06 दिन 06 दिन	40 40 40	200.00 200.00 200.00	48,000.00 48,000.00 48,000.00

संबंधित जिला अपने भौगोलिक एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बदलाव कर सकते हैं।

एजेण्डा संख्या - 12

फाइनेन्शियल लिट्रेसी एण्ड क्रेडिट काउन्सिलिंग सेंटर (FLCC)

यह केंद्र जिलों के अग्रणी बैंक द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिसमें ग्रामीणों को बैंकिंग से संबंधित जानकारी एवं स्वयं का व्यवसाय आरम्भ करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा देहरादून एवं हरिद्वार जिलों, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर एवम् अल्मोडा मे, भारतीय स्टेट बैक द्वारा एफ.एल.सी.सी. केंद्र खोले गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ आयोजित कर ग्रामीण प्रतिभागियों को निम्न जानकारियाँ प्रदान की गई हैं :

क्र.सं.	**त्रैमास**	**आयोजित सेमिनार (प्रतिभागियों की संख्या)**
1.	अक्तूबर से दिसम्बर 2011	बैंकों में विकलांगों हेतु योजनाएं बैंकों के विभिन्न जमा एवं ऋण योजनाओं से संबंधित जानकारियाँ प्रदान की गई एवं ग्रामीणों के लिए तीन कृषक महोत्सव।

एजेण्डा संख्या - 13

कृषि बीमा योजना

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मोडिफाइड राष्ट्रीय बीमा योजना (NAIS & MNAIS) के अंतर्गत फसली बीमा में विसंगतियाँ एस.एल.बी.सी. स्तर पर बैठकों में सभी बैंकों को निर्देशित किया जाता रहा है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत चयनित फसलों के लिए वितरित के.सी.सी. ऋणों की कृषि बीमा योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत आच्छादित किया जाए। किंतु इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। अतः सभी बैंकों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त चयनित फसलों को शत प्रतिशत आच्छादित करें।

निदेशक (कृषि) की अध्यक्षता में गठित समिति ने संसूचित क्षेत्रों में संसूचित फसलों को बैंकों द्वारा बीमा किए जाने को नमूने के आधार पर परीक्षण के उपरांत पाई गई विसंगतियों से उनके नियंत्रकों को अवगत कराया गया है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति को सक्रिय करने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार की विसंगतियों की पुनरावृत्ति न हो। इस आशय के संदर्भ में प्रमुख सचिव (कृषि) द्वारा ज्ञापन पत्र संख्या 82 / III (1) / 2012 - 1 (3) / 2002 दिनांक 27 जनवरी, 2012 जारी किया गया है।

एजेण्डा संख्या - 14(1)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को ऋण वितरण

(₹ करोड़ों में)

सेक्टर		**मार्च, 2011**	**जून, 2011**	**सितम्बर, 2011**	**दिसम्बर, 2011**
माइक्रो एवं लघु इन्टरप्राइजेज	मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर	1542	2358	2951	3285
	सर्विस सेक्टर	2555	3008	4678	4824
मीडियम इन्टरप्राइजेज	मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर	650	859	235	346
	सर्विस सेक्टर	332	640	143	248
कुल एम.एस.एम.ई.	मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर	2192	3217	3186	3631
	सर्विस सेक्टर	2887	3648	4821	5071

बैंकों द्वारा प्रेषित एम.एस.एम.ई. के आँकड़ों में कुछ विसंगतियाँ हैं, अतः बैंकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के समापन पर आँकड़े सही प्रेषित करें ताकि उन पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सार्थक चर्चा हो सके ।

एजेण्डा संख्या - 14 (2)

रुग्ण एम.एस.ई. इकाइयों का पुनर्वासन

Potential Viable Sick Units as on 31.12.2011	**Addition Sick Units**	**Total Sick Units**	**Units rehaibilated**	**Viable Sick Units yet to be rehabilitated**
17	**47**	**64**	**Nil**	**17 (₹ 43.58 lacs)***

* बैंक ऑफ इण्डिया	07	- ₹ 9.00 लाख
देना बैंक	01	- ₹ 6.00 लाख
इंडसइंड बैंक	08	- ₹ 28.58 लाख
एच.डी.एफ.सी.	01	- ₹ ---
कुल	**17**	**- ₹ 43.58 लाख**

संबंधित बैंकों से अनुरोध है कि वे रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास पर त्वरित कार्रवाई करें।

एजेण्डा संख्या - 15

हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज हेतु माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने दिनांक 28.02.2011 को वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में घोषण की थी।

इस योजना के कुछ मुख्य बिंदु निम्नवत् हैं :

- योजनांतर्गत प्रावधानित राशि हेतु नाबार्ड को नोडल एजेन्सी बनाया गया है।
- योजनांतर्गत लगभग 15000 को-आपरेटिव सोसायटी तथा लगभग 3 लाख बुनकरों को लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- जिन्होंने हथकरघा बुनाई के प्रयोजनार्थ, 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार मूलधन और ब्याज अतिदेय हो गया हो उसका क्रमशः 100 % और 25 % की वापसी अदायगी करने के लिए इस योजना के अंतर्गत निधियाँ प्रदान की जाएगी बशर्ते की बैंक नए ऋण मंजूर करने पर सहमत हो जाए।
- व्यक्ति हथकरघा बुनकरों की अतिदेय राशियों के माफी की समग्र सीमा ₹ 50,000/- होगी।
- हथकरघा बुनकर सोसायटी एवं व्यक्तिगत बुनकरों के ऋणों को माफ करने तथा पुर्नपूँजीकरण के लिए अपेक्षित निधियों में से भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच हिस्सेदारी क्रमशः 90:10 है। इस हेतु राज्य सरकार को नाबार्ड के साथ 31.03.2012 से पूर्व एक एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया जाना था, परंतु माह जनवरी, 2012 में विधान सभा चुनाव के कारण उपरोक्त एम.ओ.यू. निष्पादित नहीं हो सका। अतः इसकी समय सीमा 30 जून, 2012 तक बढ़ाने का अनुमोदन किया जाए ताकि डेवलपमेंट कमिशनर, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जा सके।

एजेण्डा संख्या - 16

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

****

++

एजेण्डा संख्या - 11

भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड / राज्य सरकार / अन्य संस्थाओं द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्देश :

1. वित्तीय समावेशन - बैंकरहित ग्रामों के वित्तीय समावेशन हेतु, भारत सरकार द्वारा अपनी योजना को विस्तार देते हुए, अब 1000 से अधिक एवं 1999 (2001 जनगणना) तक के बैंकिंग सुविधा से रहित ग्रामों में, बैंकिंग सुविधा प्रदान करने हेतु, गाँवों का चयन कर, बैंकों को आवंटन करने की प्रक्रिया, माह जून, 2011 में सभी जिलों में, बैठकें आयोजित कर सम्पन्न करा ली गई हैं, जिसके अंतर्गत 753 ग्रामों (> 1000 से < 2000) को, बैंकों को आवंटित कर दिया गया है।

वर्तमान में, भारतीय रिजर्व बैंक के, जनसंख्या 2000 + बैंकरहित ग्रामों के निर्देशों के अनुसार, वित्तीय समावेशन हेतु ग्रामों में बैंक शाखा अथवा बी.सी. (बिजनेस कॉरेस्पोन्डेन्ट) की नियुक्ति आवश्यक है। योजना के विस्तार, शाखा / बी.सी. की आर्थिक व्यवहार्यता एवं उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगोचर करते हुए, वित्तीय समावेशन (> 1000 से < 2000) हेतु चयनित ग्रामों से 3 किलोमीटर की दूरी पर शाखा अथवा बी.सी. की उपस्थिति को वित्तीय समावेशित .माना जाए। इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक से अपने निर्देशों पर पुनर्विचार करने का आग्रह है।

एजेण्डा संख्या - 12

12 (1) **आरसेटी संस्थान में दिनांक 01.04.2010 से 30.09.2011 तक प्रदान किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण**

	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की	प्रशिक्षुओं की संख्या	

जिला एवं प्रायोजक बैंक	संख्या				मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण
	31.3.2011 तक	1.4.2011 से 30.9.2011	31.3.2011 तक	1.4.2011 से 30.9.2011	
पौड़ी एस.बी.आई.	08	15	291	311	साबुन एवं मोमबत्ती बनाना, पशु पालन, कुटकुट पालन, एस.एच.जी., हैण्डीक्राफ्ट, दोना-पत्तल बनाना, ब्यूटीशियन
हरिद्वार पी.एन.बी.	11	07	490	84	ब्यूटीशियन, जैम, जैली, अचार, रेडीमेड गारमेन्ट्स एवं मोबाइल रिपेयरिंग
नैनीताल बी.ओ.बी.	01	00	18	00	सिलाई, कढ़ाई, बुनाई
उधम सिंह नगर बी.ओ.बी.	09	01	242	29	मोमबत्ती, कम्प्यूटर रिपेयर, ब्यूटीशियन, डेयरी, मशरुम, मोटर रिपेयरिंग, फोटाग्राफी एवं विडियोग्राफी, घड़ी मरम्मत और स्क्रीन पेंटिंग
चमोली एस.बी.आई.	16	03	413	137	डेयरी एवं सब्जी विकास, ब्यूटीशियन, जैम, जैली, अचार, रेडीमेड गारमेंट्स और पशु पालन
उत्तरकाशी एस.बी.आई.	08	07	272	175	खाद्य प्रसंस्करण, बुनाई, कृषि सम्बद्ध कार्यक्रम एवं डेयरी विकास, कम्प्यूटर हार्डवेयर, एस.एच.जी.
अल्मोड़ा एस.बी.आई.	10	8	216	175	डेयरी विकास, कढ़ाई-बुनाई, मोमबत्ती बनाना, मोटर मरम्मत और जैम, जैली, अचार
चम्पावत एस.बी.आई.	00	00	00	00	--
पिथौरागढ़ यू.जी.बी.	01	00	25	00	सिलाई एवं कढ़ाई
रुद्रप्रयाग एस.बी.आई.	05	08	411	203	महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण, इलैक्ट्रीकल्स एवं इलैक्ट्रोनिक्स रिपेयरिंग
देहरादून ओ.बी.सी.	53	20	1087	-----	ब्यूटीशियन, सिलाई, कढ़ाई, मोमबत्ती बनाना, मोबाइल रिपेयरिंग, पॉल्ट्री, हैण्डीक्राफ्ट, फोटोग्राफी, कम्प्यूटर रिपेयरिंग
टिहरी एस.बी.आई.	08	06	192	156	डेयरी विकास, कढ़ाई-बुनाई, मोमबत्ती बनाना और जैम-जैली, अचार
बागेश्वर एस.बी.आई.	13	8	440	249	स्क्रीन प्रिंटिंग, फैब्रिक प्रिंटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोमबत्ती बनाना, पशुपालन, सब्जी उत्पादन और डेयरी विकास

12 (2) **फाइनेन्शियल लिट्रेसी एण्ड क्रेडिट काउन्सिलिंग सेंटर** (FLCC)

यह केंद्र जिलों के अग्रणी बैंक द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिसमें ग्रामीणों को बैंकिंग से संबंधित जानकारी एवं स्वयं का व्यवसाय आरम्भ करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा देहरादून एवं हरिद्वार जिलों एवम् अल्मोडा मे, भारतीय स्टेट बैक द्वारा एफ.एल.सी.सी. केंद्र खोले गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ आयोजित कर ग्रामीण प्रतिभागियों को निम्न जानकारियाँ प्रदान की गई हैं :

क्र.सं.	त्रैमास	आयोजित सेमिनार (प्रतिभागियों की संख्या)
1.	जौलाई से सितम्बर 2011	बैंकों में विकलांगों हेतु योजनाएं (35) तीन कृषक महोत्सव आयोजित (175) तीन बी.एल.बी.सी. बैठकों में 29 व्यक्तियों को बैंकिंग जानकारी प्रदान की गई

एजेण्डा संख्या -13

13 (1) बैंकों में सितम्बरा, 2011 तक की कुल **कृषि ऋण वसूली** की स्थिति संतोषजनक है जोकि लगभग 77.79 % है। परंतु कुछ वाणिज्यिक बैंकों में कृषि ऋण वसूली बहुत कम है ।

(₹ in lacs)

	Demand	Recovery	Overdues	Recovery %
Lead Banks	29578.39	24145.50	5432.89	81.63
Non Lead Banks	12834.45	6242.54	6591.91	48.64
Total Comm. Banks	**42412.84**	**30388.04**	**12024.80**	**71.65**
RRBs	10103.34	7794.27	2309.07	77.15
Coop. Banks	59513.25	49836.03	9677.22	83.74
Pvt. Banks	7215.54	4745.23	2470.31	65.76
Grand Total	**119244.97**	**92763.57**	**26481.40**	**77.79**

13 (2) अब तक बैंकर्स द्वारा कुल **ऋण वसूली प्रमाण पत्र ₹** करोड़ के जारी किए गए परंतु राजस्व विभाग द्वारा मात्र ऋण वसूली प्रमाण पत्रों पर ₹ करोड़ की वसूली की गई जोकि बहुंत कम है।

(₹ in lacs)

Banks	**Less than 1 year**		**More than 1 Year**		**Total**		**Recoveries made against the RCs during the year**	
	No.	**Amt.**	**No.**	**Amt.**	**No.**	**Amt.**	**No.**	**Amt.**
Lead Banks	5706	1758.54	5393	1047.89	11099	2806.43	1148	359.55
Non Lead Banks	838	694.81	5020	2128.92	5858	2823.73	370	214.98
Total Comm. Banks	**6544**	**2453.35**	**10413**	**3176.81**	**16957**	**5630.16**	**1518**	**574.53**
RRBs	599	332.46	1476	419.76	2075	752.22	475	86.70
Coop. Banks	93	17.91	4239	176.39	4332	194.30	232	26.10
Pvt. Banks	132	164.13	144	178.64	276	342.77	41	47.17
Grand Total	**7368**	**2967.85**	**16272**	**3951.60**	**23640**	**6919.45**	**2266**	**734.50**

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को ऋण वितरण

सितम्बर, 2011 त्रैमास में सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के ऋणों में, मार्च, 2011 के स्तर से क्रमशः ₹ करोड़ एवं ₹ करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। गत एस.एल.बी.सी. बैठक में दिए गए सुझाव के क्रम में, सूक्ष्म, लघु इकाइयों के आँकड़े अब पृथक से दिए जा रहे हैं।

(₹ in Crores)

Sector / Bank	Mar. 2011	Sept, 2011
Micro Enterprises		
Mfg. Sector	569	
Service Sector	1469	
Small Enterprises		
Mfg. Sector	973	
Service Sector	1086	
Total MSE		
Mfg. Sector	1542	
Service Sector	2555	
Medium Enterprises		
Mfg. Sector	650	
Service Sector	332	
Total MSME		

Mfg. Sector	2192	
Service Sector	2887	

9 (5) रुग्ण एम.एस.ई. इकाइयों का पुनर्वासन (₹ in lacs)

Viable Sick Units as on 31.03.2011	Addition Sick Units	Total Sick Units as on 30.09.11	Non Viable Sick Units as on 30.09.11	Potentially Viable Units	Viability yet to be decided	Units under nursing	
						No.	**Amt.**
17							

बैंक Potentially Viable इकाइयों पर वित्तपोषण संबंधी शीघ्र निर्णय लें।

एजेण्डा संख्या - 10

एजेण्डा संख्या - 14

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

****

एजेण्डा संख्या - 3

निम्न बिंदुओं पर शासन, अन्य विभागों के स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है।

क्र.सं.	विवरण	लम्बित समय सीमा
1.	के.वी.आई.सी. / के.वी.आई.बी. से संबंधित आवेदनों पर अनुदान का निपटान	वर्ष 2006-07 से *
2.	आरसेटी हेतु भूमि का आवंटन i) नैनीताल ii) उत्तरकाशी iii) चम्पावत	वर्ष 2010 से
3.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा इत्यादि का भुगतान EBT द्वारा	अभी लागू नहीं की गई है।
4.	कृषकों की सूची का बैंकों को संप्रेषण	एक वर्ष से

* उत्तरकाशी - एस.बी.आई., पी.एन.बी. एवं यू.जी.बी.
टिहरी - यू.जी.बी.
चम्पावत - एस.बी.आई.
पौड़ी / चमोली - यू.जी.बी.